



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4, 1935

No. 193]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2014

का.आ. 241(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 789(अ), तारीख 20 मार्च, 2009 द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क के अधीन गठित अपील प्राधिकरण में दो अंशकालिक सदस्यों की निम्नानुसार नियुक्ति करती है :—

1.	श्री जी.एन. अग्रवाल, फ्लैट सं. 2003, सी-विंग, चैतन्य टावर्स, अप्पासाहेब मराटे एम, प्रभा देवी, मुंबई-400025	सदस्य (अंशकालिक)
2.	श्री टी भार्गव, फ्लैट सं. 801, इंदर टावर, गोखले रोड, दादर, मुंबई-400025	सदस्य (अंशकालिक)

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एम-18013/02/2011-बी.1]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव (बीए, पी एंड आई)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2014

S.O. 241(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby appoints two part-time members to the Appellate Authority constituted under Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), by the Central Government, Ministry of Corporate Affairs, *vide* notification No. S.O.789(E), dated the 20th March, 2009, as under :—

1.	Shri G. N. Agarwal, Flat No. 2003, C-Wing, Chaitanya Towers, Appasaheb Marathe M, Prabha Devi, Mumbai-400025.	Member (Part-time)
2.	Shri T. Bhargava Flat No. 801, Inder Tower, Gokhale Road, Dadar, Mumbai-400025.	Member (Part-time)

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. M-18013/02/2011-Ins.I]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy. (BA, P&I)